

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 446 / 07

संस्थित दिनांक-06.08.07

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद  
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. रामनाथ सिंह पुत्र भोगीराम गुर्जर उम्र 42 साल
  2. मुन्ना सिंह पुत्र भोगीराम गुर्जर उम्र 49 साल
  3. बालाराम पुत्र भोगीराम गुर्जर उम्र 60 साल
- निवासीगण- ग्राम बेहट थाना बेहट जिला ग्वालियर म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 24.05.2017 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323 / 34 एवं 324 / 34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.04.07 को 2 बजे ग्राम कटुवा गुर्जर पर फरियादी भगवान सिंह गुर्जर को उसके दरवाजे पर फरियादी के भतीजे बंटी के बचाने आने पर उसे भी धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2. प्रकरण में फरियादी भगवान और आहत बंटी द्वारा दिनांक 28.02.17 को राजीनामा किए जाने के फलस्वरूप संहिता की धारा 294, 323 / 34 के अपराध का समन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्तगण के संबंध में संहिता की धारा 324 / 34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

03. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है फरियादी भगवान सिंह के चाचा उम्मेद का मकान उसके बगल में है जो कुआ पर मडैया (झोपड़ी) में रहने लगे हैं। दिनांक 12.04.07 को दिन के करीब 2 बजे अभियुक्तगण व एक अन्य व्यक्ति मार्शल कार में बैठकर उसके दरवाजे पर आए और किवाड़ में लातें मार कर गाली देकर चिल्लाने लगे कि बंटी और भगवान सिंह कहां है। जब फरियादी बाहर आया तो अभियुक्त रामनाथ ने उसे उठाकर पटक दिया जिससे उसके सिर में चोट आई। अभियुक्त मुन्ना और बालाराम ने चाकू तथा बीयर की खाली बोतलें गाड़ी से उठा लाए और उनके साथ का व्यक्ति हाथ में कट्टा लिए था। अभियुक्तगण ने फरियादी भगवानसिंह की मारपीट की इतने में उसका भतीजा बंटी बचाने आया तो उसे भी अभियुक्तगण ने चाकू तथा बीयर की बोतलों से मारपीट कर चोटें पहुंचाई। मोहरसिंह, शिवचरन व सोबरन आ गए, जिनके सामने अभियुक्तगण जान

से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अपराध क्रमांक 52/ 07 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होने तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 12.04.07 को 2 बजे आहत बंटी के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हां तो उसकी प्रकृति?
2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक व समय पर ग्राम कटुवा गुर्जर पर फरियादी भगवान सिंह गुर्जर को उसके दरवाजे पर फरियादी के भतीजे बंटी के बचाने आने पर उसे भी धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राजा फरियादी भगवान सिंह अ०सा० 1, बंटी अ०सा० 2, डॉ० जी०आर० शाक्य अ०सा० 3, मोहर सिंह अ०सा० 4, सोबरन सिंह अ०सा० 5, श्रीमती सुनीता अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई।

#### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 //

7. फरियादी भगवान सिंह अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि घटना उसके न्यायालयीन साक्ष्य दिनांक 11.07.11 के लगभग 4 साल पहले की होना बताता है। यह कथन करता है कि अभियुक्तगण और एक अज्ञात व्यक्ति मार्शल गाड़ी लेकर आए और उसक दरवाजे में धक्का मारने लगे और गालियां देने लगे। उन्होंने कहा कि भगवान सिंह और बंटी कहां है। जब साक्षी घर के बाहर आया तो रामनाथ ने उसे उठाकर पटक दिया जिससे उसके सिर में चोट आई। अभियुक्त मुन्ना और बालाराम खाली बीयर की बोतलें उठा लाने और अन्य व्यक्तिके कटटा लिए होने का कथन करता है। अपने अभिसाक्ष्य में बताता है कि जब उसका भतीजा बचाने आया तो भतीजा बंटी की चाकू और बीयर की बोतलों से मारपीट की जिससे बंटी के सिर, पीठ, वार्षी जांघ तथा गुप्तांग में चोट आने का कथन करते हैं। साक्षी घटना की रिपोर्ट थाने में प्र०पी० 1 के रूप में लिखाए जाने और

उस पर अपने अंगूठा लगाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से फरियादी के कथन की अभिपुष्टि प्र०पी० 1 की प्राथमिकी के तथ्यों से होती है।

8. साक्षी बंटी अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि घटना चार साल पहले की है। अभियुक्तगण का उसके यहां जीप से आने व रामनाथ द्वारा चाकू उसे मारने का कथन करता है। साक्षी यह बताता है कि आरोपीगण ने उसे तथा उसके चाचा को गाली दी थी। जब वह चाचा को बचाने गया तो उसे चाकू मारा था और बीयर की बोतल मारी थी। साक्षी उसका तथा चाचा का मेडिकल होने का कथन करता है। इसप्रकार से यह साक्षी उसे धारदार वस्तु चाकू तथा कांच की बोतल से उपहति कारित करने का कथन करता है।

9. चिकित्सक डॉ० जी०आर० शाक्य अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि दिनांक 12.04.07 को उनके द्वारा आरक्षक 723 यशवंत थाना गोहद द्वारा लाए जाने पर आहत बंटी पुत्र शिवचरन तथा भगवान सिंह पुत्र राजबहादुर का चिकित्सीय परीक्षण किया था। उक्त चिकित्सीय परीक्षण आहत बंटी का परीक्षण प्रकरण में सुसंगत है। क्योंकि आहत भगवान सिंह के संबंध में राजीनामा हो चुका है। आहत बंटी को चिकित्सक निम्न चोटें पाए जाने का कथन करते हैं।

1. बायीं छाती पर कांक के नीचे एक कटा हुआ घाव था। घाव से कपड़ा हटाया गया तो खून निकल रहा था। चोट आड़ी थी जिसका आकार 3 गुणा 2 सेमी चमड़ी तक गहरा था।
2. दाहिनी पीठ पर एक कटा हुआ घाव था जो खड़े आकार का था, जिसका आकार 4 गुणा 1 सेमी. चमड़ी तक गहरा था।
3. बायीं जांघ पर एक कटा हुआ घाव था, जिसका आकार दो गुणा एक सेमी चमड़ी तक गहरा था। यह चोट आड़ी थी।
4. दाहिनी जांघ पर अंदर की तरफ पोते के पास में एक कटा हुआ घाव था, जिसका आकार 1 गुण 2 सेमी था, चमड़ी तक गहरा था।
5. सिर के बीच में एक कटा हुआ घाव था, जिसका आकार 3 गुणा 1 सेमी चमड़ी तक गहरा था।

अपने अभिमत में चिकित्सक आहत को पाई गई सभी चोटें धारदार हथियार से कारित होने तथा उनकी अवधि ताजा होने के संबंध में अपना कथन करते हैं। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 3 बताकर उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

10. प्र०पी० 3 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पर समय शाम 4:15 का लेख किया गया है। घटना प्राथमिकी प्र०पी० 1 के अनुसार घटना 12.07.2007 की दोपहर करीब दो बजे की बताई गई

है जो कि आहत को पाई गई चोटों के ताजा होने के संबंध में दिए गए अभिमत का समर्थन करती है। प्र०पी० 3 की रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन उस पर युक्तियुक्त अविश्वास किए जाने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। साथ ही यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त की ओर से चिकित्सक को सुझाव दिया गया है कि आहत को आई चोट आहतगण फसल की ट्रौली भरते समय खेत के गेंहू और सरसों के डंटल पर गिर जाने से कारित होने की संभावना का सुझाव दिया गया है। सर्वप्रथम तो ऐसा सुझाव आहत बंटी अ०सा० 2 को नहीं दिया गया। जबकि भगवान सिंह अ०सा० 1 को प्रतिपरीक्षण में उसे आई चोट के संबंध में सुझाव दिया गया है न कि बंटी की चोट के संबंध में कोई सुझाव दिया है। इस प्रकार से स्वयं अभियुक्त की ओर से परस्पर विरोधाभासी सुझाव दिए गए हैं किन्तु उक्त सुझाव के माध्यम से इसी तथ्य को बल प्राप्त होता है कि आहत बंटी को अभिकथित घटना दिनांक, सुसंगत समय या उसके लगभग शरीर में धारदार हथियार से चोटें कारित हुई थी।

11. मोहर सिंह अ०सा० 4, सोबरन अ०सा० 5 व सुनीता अ०सा० 6 द्वारा मामले का समर्थन नहीं किया है जबकि शिवचरन अ०सा० 7 आहत बंटी को ज्यादा चोट होने के संबंध में कथन करते हैं। उनका कथन भी आहत बंटी की चोटों के संबंध में अखंडित रहा है। इस प्रकार से मौखिक साक्ष्य एवं समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 12.04.07 को दिन के करीब 2 बजे आहत बंटी के शरीर में धारदार वस्तु से चोटें कारित थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या आहत बंटी को आई चोट अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छा कारित की गयी ?

### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 //

12. फरियादी भगवान सिंह अ०सा० 1 अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं जब बंटी उसे बचाने आया था तब उसकी चाकू तथा बीयर की बोतलों से मारपीट की, जिससे उसे चोटें कारित हुई थी। यह साक्षी अभियुक्तगण के द्वारा एक साथ मार्शल गाड़ी से आकर उसके दरवाजे पर धक्का मारने, गालियां देने तथा भगवान सिंह व बंटी को बुलाने के संबंध में कथन करते हैं। बंटी अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में इसी तथ्य का समर्थन करते हैं कि अभियुक्तगण एक जीप से आए थे और उसकी चाचा अर्थात् फरियादी भगवानसिंह की मारपीट करने लगे जब वह बचाने गया तो उसकी भी अभियुक्तगण ने मारपीट की। इस प्रकार से अभियुक्तगण का सामान्य आशय होने के संबंध में उनकी साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद है। अभियुक्तगण के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आहत को आई चोटें गेंहू की ट्रौली से फसलों के डंटल पर गिरने से कारित हुई थीं। अभिकथित सुझाव को आहत से नहीं पूछा गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की ओर से उक्त बचाव के संबंध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में मात्र सुझाव दिए जाने से आहतगण को प्रमाणित चोटें खंडित नहीं हो जाती हैं।

13. प्रकरण में फरियादी व आहत को यह तर्क किया गया कि उम्मेद सिंह जिनसे फरियादी व आहत का प्रायः झगड़ा होता है और अभियुक्तगण उक्त उम्मेद सिंह के रिश्तेदार हैं इस कारण से उन्हें असत्य रूप से लिप्त किया गया है। इस संबंध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रकरण में अभिकथित उम्मेद सिंह के संबंध में फरियादी भगवान सिंह अ०सा० 1 कंडिका 4 में स्वीकार करते हैं कि उम्मेद सिंह से आए दिन उनका झगड़ा होता है। यह भी बताते हैं कि उम्मेद सिंह अपना घर छोड़कर कुआ के पास झोपड़ी में रहने लगे हैं। यह भी कथन करते हैं कि उम्मेद सिंह की बहन आरोपीगण के यहां विहाई है, किंतु यदि उम्मेद सिंह से अभिकथित रूप से फरियादी एवं आहत को कथित रंजिशवस यदि असत्य लिप्त करने का आशय होता तो उम्मेद सिंह को भी अभियुक्त के रूप में जोड़ा जाता। प्रकरण में उम्मेद सिंह या उसके परिवार के किसी व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में लिया गया बचाव तथ्यपरक एवं सारवान साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

14. प्रकरण में अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि किसी अन्य साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है ऐसे में उन्हें असत्य रूप से लिप्त किया गया है। अभिकथित रूप से प्रस्तुत तर्क के संबंध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि मोहरसिंह अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे घर के अंदर थे और जब शोर शराबा हुआ तो देखा कि आरोपीगण भाग चुके थे। साक्षी के उक्त कथन को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। शिवचरण अ०सा० 7 द्वारा यह कथन किया है कि वे खेत की कटाई पर गए थे और जब वे पहुंचे तो आदमी भाग गए थे, सूचक प्रश्न में स्वीकार करते हैं कि अभियुक्तगण मार्शल में बैठकर भागे और कह रहे थे कि मामा को ज्यादा परेशान किया तो जान से मार देंगे। इस प्रकार से अभिकथित रूप से उक्त साक्षी के कथन का भी कोई खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं कराया गया है। यद्यपि साक्षीगण अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिए गए किन्तु इसके बावजूद भी अखण्डित तथ्य जो कि फरियादी व आहत के अभिसाक्ष्य का समर्थन करते हैं, उन पर अविश्वास का कोई आधार नहीं रह जाता है। यह तथ्य भी उल्लेख करना उचित है कि उक्त साक्षीगण के कथन प्रकरण में राजीनामा दि० 28.02.17 के उपरांत लेखबद्ध किए गए हैं ऐसी दशा में उनके पक्षविरोधी हो जाने मात्र से अभियोजन मामला संदिग्ध नहीं हो जाता है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 के अधीन साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात् किसी तथ्य को प्रमाणित करने हेतु कितने साक्षी होने चाहिए, यह कोई न्यायबद्ध तथ्य नहीं है। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों पर निर्भर है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत-संदीप कुमार सैन विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य 2016 ए०आई०आर० एस०सी०डब्ल्यू० 310 की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी की अपुष्ट साक्ष्य भी यदि विश्वास योग्य पाई जाती है तो उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

15. जहां तक फरियादी भगवानसिंह अ०सा० 1 एवं आहत बंटी अ०सा० 2 के कथन का संबंध है तो यह भी स्वस्थापित है कि आहत साक्षी के अभिसाक्ष्य को अन्य साक्षियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायदृष्टांत— **Bhajan Singh @ Harbhajan Singh & Ors. Vs. State Of Haryana (2011) 7 SCC 421 : AIR 2011 SC 2552** की ओर भी आकर्षित होता है जिसमें कण्डिका 32 में मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है— “**Para32.** The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 ; Kailas & Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793 ; Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676 ; and State of U.P. v. Naresh & Ors., (2011) 4 SCC 324).” अवलोकनीय है। इस प्रकार से आहत बंटी अ०सा० 2 एवं समर्थित साक्षी फरियादी भगवानसिंह अ०सा० 1 के अभिसाक्ष्य में अविश्वास किए जाने का आधार नहीं पाया जाता है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 12.04.07 को 2 बजे ग्राम कटुवा गुर्जर पर फरियादी भगवान सिंह गुर्जर को उसके दरवाजे पर फरियादी के भतीजे बंटी के बचाने आने पर उसे भी धारदार हथियार से सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 324/34 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। संहिता की धारा 294, 323/34 के संबंध में राजीनामा के प्रभाव से अभियुक्तगण उक्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाते हैं।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। उसे अभिरक्षा में लिया जाता है।

18. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक व संगठित अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता

है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

**पुनश्च:**

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

19. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए, प्रकरण के लगभग दस वर्ष से लंबित होने तथा अभियुक्तगण से आहतगण द्वारा राजीनामा कर लिए जाने के कारण कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

20. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं, साथ ही प्रकरण के लगभग दस वर्ष विचाराधीन होने तथा राजीनामा होने का तथ्य अभिलेख पर है किन्तु साथ ही उनकी परिपक्व आयु एवं आहत बंटी को स्वेच्छा धारदार वस्तुओं से पांच उपहृतियां कारित किए जाने का तथ्य भी दण्ड पर निर्धारण करने के समय विचारण योग्य है। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 324/34 के अधीन **6-6 माह के सश्रम कारावास व सौ-सौ रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

21. प्रकरण में जवत्शुदा संपत्ति चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जावे।

22. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे। अभियुक्तगण की निरोधावधि के संबंध में यदि कोई हो तो धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश